संख्या-1/2020/5311/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 01 जनवरी 2020

विषय: **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या81 के अन्तर्गत संचालित ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-267/01/ज.जा.वि./कौ0वि0/2019-20,दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत संचालित ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित तालिकानुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

(धनराशि रूपयों में)

अनुदान संख्या-81 लेखाषीर्शक	**स्वीकृत धनराशि**
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- 01-केन्द्र प्रायाजित योजना-0105- पाकेट प्लान तथा प्रीमिटिव ग्रुप के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन (के0 100/रा00)- 20-सहायताअनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	रू0 9,04,000/-
0106-बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना, नजीबाबाद, बिजनौर को अनुदान (के0 100/रा0 0)- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 0107-बिखरी आबादी वाली जनजातियों का	रू0 94,000/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

कल्याण-(के0 100/रा0 0)- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	रू0 10,64,000/-
योगः-	**रू0 20,62,000/-**

(रू0 बीस लाख बासठ हजार मात्र)

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 में आय-व्ययक के अन्तर्गत उपलब्ध प्राविधानित धनराशि की उपरोक्त तालिकानुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इससे पूर्व, पूर्व में स्वीकृत कोई भी धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष धनराशि जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग कर लिया गया है तथा व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(3) गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी/स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक लक्ष्यों की सूचना के साथ उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात ही अवशेष अवधि की स्वीकृत का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि की तत्काल व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और पी0एल0ए0, बैंक, डाकखानों आदि खातो में नहीं रखी जायेगी।

3- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-05-पाकेट प्लान तथा प्रीमिटिव ग्रुप के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन-20-सहायता अनुदान, 2225-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-06-बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना, नजीबाबाद, बिजनौर को अनुदान (100

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिशत केन्द्रपुरोनिधानित)-20 सहायता अनुदान एवं 2225-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-07-बिखरी आबादी वाली जनजातियों का कल्याण (100 प्रतिशत केन्द्रपुरोनिधानित)-20-सहायता अनुदान'' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस- 2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ0संख्या-1/2020/5311(1)/26-3-2019-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-4, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6. गार्डफाइल।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।